



Real Estate  
Regulatory Authority  
Madhya Pradesh

भू-संपदा  
विनियामक प्राधिकरण  
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760  
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-R/A-05/F-455/13/2

भोपाल, दिनांक ...19/04/2022

प्रति,

देवास ट्रेडिंग कार्पोरेशन,  
सम्प्रवर्तक,  
54, शालिनी रोड,  
देवास(म०प्र०) 455001

विषय: परियोजना- चाणक्यपुरी, पार्ट-2, देवास (REF. No. 388181814785)  
के संबंध में।

- 0 -

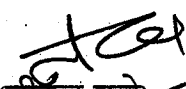
कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए हैं कि :-

" परियोजना चाणक्यपुरी, पार्ट-2, देवास का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है।  
परियोजना को पंजीयन क्रमांक P-DWS-22-3290 आवंटित किया गया है।  
**परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।"**

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

  
(नीरज दुबे)  
सचिव  
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश-पत्रिका

प्रोजेक्ट का नाम- चाणक्यपुरी भाग-2, देवास.

प्रोजेक्ट आई डी: 3881818147

| कार्यवाही की तारीख, स्थान | आदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.04.2022                | <p>प्रोजेक्ट का नाम - चाणक्यपुरी भाग-2, देवास।<br/>सम्प्रवर्तक का नाम- देवास ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देवास।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तुत प्रकरण में आज दिनांक को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री रजत कुमार जैन सिनियर अकाउंटेंट उपस्थित हुए। उपसचिव एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि बैंक खाता परियोजना के नाम पर खाता खोल कर विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण हैं एवं पंजीयन आवेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है।</li> <li>आवेदक देवास ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देवास हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना- चाणक्यपुरी भाग-2, देवास, Vill- Mendki Chak, Teh. &amp; Dist.- Dewas का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार पैरा कमांक- 01 में दर्शायी कमी को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना Vill- Mendki Chak, Teh. &amp; Dist.- Dewas के खसरा क्र. 744/1/Min-1/Min-1/2, 742/3, 743/3, 742/1 Paiki, 743/1 Paiki, 741/1/min-2 कुल रकबा- 9946.70 वर्गमीटर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक पार्टनरशिप फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।</li> <li>परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 9946.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रुपये 288.01 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 115 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। पैरा- 01 में वर्णित कमी को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 31.12.2022 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्तों के अधीन होगा :-</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिये समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, बैंक खाता परियोजना के नाम पर खाता खोल कर हार्डकोपी में विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। सम्प्रवर्तक विवरण प्रस्तुत खाते की जानकारी प्राधिकरण के पोर्टल पर 15 दिवस में अपलोड करेगा।</li> </ol> <p>आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।</p> |

(एस.एस. राजपूत)

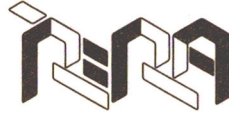
सदस्य

स्वामिपति

(स.पी. श्रीवास्तव)

अध्यक्ष

अवर सचिव  
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
भोपाल (म.प्र.)



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760  
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in



प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

## परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-DWS-22-3290**

परियोजना का नाम : **चाणक्यपुरी-पार्ट-2 देवास-म.प्र.**

परियोजना का विवरण पता सहित : .....

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती ..... पुत्र श्री/श्रीमती .....  
..... तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : **देवास ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, देवास**

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान : **54-शालिनी रोड, देवास-म.प्र.**

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- पंजीयन दिनांक **18-04-2022** से प्रारंभ होकर दिनांक **31-12-2022** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : **18-04-2022**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा  
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण